SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Sir: I come from West Bengal which is adjacent to Orissa.

In view of the reply given by the Minister that Rs. 149 crores have been provided for construction of roads and drinking water supply, I would like to know from the hon. Minister, what amount has been provided for provision of drinking water in the tribal areas of Orissa.

SHRI D. P. DHAR: When I mentioned the figure of Rs. 149 crores it related to the investment in the minimum needs programme. It would be difficult for me to place before the House the exact geographical disbursement of this investment in the State of Orissa. But, the annual budget of Orissa State undoubtedly reveals these figures.

Review report on the working of Cement Corporation of India

*227. SHRI BHOGENDRA JHA: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether the Audit Board has submitted their review report on the working of Cement Corporation of India;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) decision taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI B. P. MAURYA): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

श्री भोगन्द्र झा : इस पृष्ठभूमि में कि प्रतिवेदन अभी तक नहीं आ सका है, क्या सरकार कोई समय की अवधि बता सकती है, जिस में वह प्रतिवेदन आ जायेगा ? इस बात का ख्याल रखते हुए कि सीमेंट के उत्पादक और थोक विक्रेता मिल कर सीमेंट की कमी पैदा किये हुए हैं और इस कारण उस की चोर-बाजारी चल रही है, क्या सरकार यह विचार कर रही है कि सीमेंट उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाये ?

MR. SPEAKER: This will be treated as a suggestion for action.

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी पूछा था कि क्या मंत्री महोदय कोई टाइम-लिमिट बता सकते हैं, जिस में यह प्रतिवेदन आ जायेगा।

श्री बी० पी० मौर्य : इस बात का विचार अप्रैल, 1972 में हुआ था। समय काफ़ी हो गया है। मैं आप के द्वारा माननीय सदस्य और इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निकट भविष्य में इस प्रतिवेदन को इस सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं जानना चाहता हूं कि लेखापरीक्षा बोर्ड के सामने जांच के लिए कौन कौन से पायंट्स दिये गये हैं और क्या उन जांच के पायंट्स में यह भी है कि सीमेंट के उत्पादन और वितरण की दृष्टि से इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने से अधिक फ़ायदा होगा अथवा वर्तमान व्यवस्था से ।

श्री बी० पी० मौर्य : पूरे सीमेंट उद्योग से सम्बन्धित जितनी भी समस्यायें हैं, उन सब पर प्रकाश डाला जायेगा। माननीय सदस्य उस का इन्तज़ार करें।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब जब वक्त के बारे में एशोरेंस दें, तो वह पहले अच्छी तरह से सोच लिया करें। बाद में बड़ी मुश्किल हो जाती है।

श्री भोगन्द्र झा : अभी तो उन्होंने सोच-समझ कर कहा है। बाद में वह कहीं मालिकों के प्रैशर में न आ जायें।

अध्यक्ष महोदय : वह नये हैं, नौजवान हैं। मैंने समझा कि उन को मश्विरा दे दूं।

Smuggling of Indian Films to Foreign Countries

+

*229. SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA:

SHRI C. K. CHANDRAPPAN:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the large scale smuggling of Indian Films to the foreign countries;

(b) whether any top officials of the Government are involved in this clandestine trade; and

(c) if so, the steps Government propose to take to check the smuggling of films?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जुलाई, 1973 से अगस्त, 1974 तक की अवधि के दौरान देश से बाहर चोरी छिपे भेजी जाती हुई 5 लाख 26 हजार रुपये के मूल्य की 21 फीचर फिल्में पकड़ी गईं।

(ख) इस गैरकानूनी व्यापार में सरकार के किन्हीं उच्च अधिकारियों का हाथ होने के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

(ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

फिल्मों सहित अन्य वस्तुओं की देश से बाहर तस्करी को रोकने के लिए उठाये गये कदम

जो कदम उठाये गये हैं उनमें से कुछ हैं सूचना को क्रमबद्ध रूप से एकत्र करना तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना तथा संशयित तस्करों पर कड़ी नजर रखना, संशयित जलयानों या वायुयानों का पर्यवेक्षण करना तथा समुद्री तट तथा सीमाओं के साथ-साथ के भेद्य-क्षेत्रों में उपचारात्मक उपाय। प्रभावी अन्तार्धान, रोकथाम, आदि के लिए अतिरिक्त नौकाओं तथा जलयानों की व्यवस्था की जा रही है। कस्टम के कलैक्टर, अपर कस्टम कलेक्टर तथा सहायक कस्टम कलैक्टर के दर्जे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को केवल तस्करी विरोधी कार्य की देख-रेख करने के लिए भेद्य क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है। देश से बाहर भेजे जाने वाले सन्देह युक्त सामान तथा पार्सलों की जांच करने में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाती है। तस्करी सम्बन्धी अपराधों के लिए अधिक कठोर सजा देने की व्यवस्था करने तथा कमियों को दूर करने के लिए हाल ही में कस्टम अधिनियम, 1962 में अतिरिक्त संशोधन किया गया है।

पश्चिमी समुद्रीतट तथा तमिलनाडु के समुद्री तट पर समुद्री गार्ड मोबायल प्रिवेन्टिव दलों की स्थापना के लिए एक व्यापक योजना स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पश्चिमी समुद्री तट तथा तमिलनाडु समुद्री तट को कवर करते हुए वायरलैस सम्पर्क जाल के लिए एक योजना को भी सरकार ने स्वीकृति दी है। इससे तस्करी विरोधी कर्मचारियों को सम्पर्क के तत्काल विश्वस्त और गुप्त माध्यम उपलब्ध होंगे। इस जाल से लगभग 100 स्थान जोड़े जायेंगे।

सरकार ने तस्करी को रोकने के लिए तेज रफ्तार वाली 20 समुद्री नौकाओं के लिए आर्डर दिए हैं। इनमें से दो नौकाएं पहुंच चुकी हैं और उन्होंने अक्तूबर, 1974 से कार्य करना शुरु कर दिया है। शेष नौकाएं विदेशों में और/या भारत में मैसर्स